छात्रों ने यूट्यूब से सीखा, काटने लगे एटीएम

- पुलिस ने तीन लोगों को दबोचा, एटीएम काटने का सामान भी बरामद
- बीए के दो छात्रों ने मिलकर रची एटीएम लूट की साजिश

जागरण संवाददाता,मुरादाबाद: इंटरनेट मीडिया जितना ज्ञान बढ़ाने में मददगार होता है, उतना नुकसानदेह भी है। यूट्यूब से सीखकर तीन छात्रों ने एटीएम काटने की साजिश रच डाली। आठ हजार रुपये में कटर मशीन, स्प्रे व ट्राली बैग खरीदकर एटीएम काटने भी पहुंच गए। पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उनसे एटीएम काटने का सामान भी बरामद किया है।

सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी ने बताया कि बुधवार रात पुलिस की टीम मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास गश्त कर रही थी। रात करीब ढाई बजे बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों को गली के अंदर लगे एटीएम के पास एक युवक खड़ा दिखाई दिया। पुलिसकर्मी उससे पूछताछ के लिए आगे बढ़े तो वह तेजी के साथ भागने लगा। सिपाहियों ने दौड़ाकर उसको पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रितिक प्रजापति निवासी लालबाग थाना मुगलपुरा बताया। उसकी निशानदेही पर पुलिसकर्मियों ने एटीएम का बंद शटर खोला को दो युवक एटीएम मशीन काटते मिले। उन्होंने अपना नाम विनीत और पुर्षेंद्र प्रजापति बताया। वह भी मुगलपुरा के रहने वाले हैं। आरोपितों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि यूट्यूब पर एक माह पूर्व उन्होंने एक वीडियो देखी थी। हरियाणा के रोहतक जनपद में इस वीडियो में एक युवक एटीएम काटकर पैसे निकालने का तरीका सिखाता है। इसी वीडियो को देखने के बाद पुष्पेन्द्र ने एटीएम लूट की योजना तैयार की थी।

एटीएम काटकर चोरी करने का प्रयास करते पकड़े आरोपितों के बारे में जानकारी देते क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी (बाएं) • सौ. पीआर सेल

पुलिस को चकमा देने के लिए पहनी जालीदार टोपी : मझोला थाना प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया कि आरोपितों ने पुलिस को चकमा देने की तैयारी की थी। घटना को अंजाम देने से पहले फिंगर प्रिंट न मिले इसके लिए हाथ में दस्ताने पहने थे। इसके साथ ही मुंह में मास्क, आखों में चश्मा पहनने के साथ ही सिर पर जालीदार टोपी पहनी थी। ताकि लोग सीसीटीवी फुटेज को देखकर उन्हें मुस्लिम धर्म का समझे। एटीएम में प्रवेश करते ही आरोपितों ने सीसीटीवी में कलर स्प्रे डाल दिया था, ताकि फुटेज में किसी की स्पष्ट तस्वीर न आ सके।

रेलवे की परीक्षा देने के बाद छात्र बना लुटेरा

आरोपित छात्र पुष्पेन्द्र ने बताया कि वह बीए तृतीय वर्ष का छात्र है। शहर के सरकारी कालेज से वह पढ़ाई कर रहा है। दो वर्ष पहले देहरादून में उसने रेलवे की भर्ती की परीक्षा दी। नौकरी नहीं मिलने पर वह मजदूरी करने लगा। इसी दौरान उसने वीडियो देखी। फिर उसने बीए प्रथम वर्ष के छात्र विनीत को इसकी जानकारी दी। विनीत ने अपने दोस्त रितिक को शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर आठ हजार रुपये एकत्र किए। इसके बाद गैस कटर, आक्सीजन सिलेंडर, गमछा, दस्ताने, चश्मा, ट्राली बैग खरीदे।

सोने के सात बिस्किट और रिवाल्वर के साथ दो पकड़े

कोषागार में जमा कराया, जीएसटी आफिस को भेजी रिपोर्ट

संवाद सूत्र, अफजलगढ़: कोतवाली अफजलगढ़ पुलिस ने बुधवार देर शाम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास चेकिंग के दौरान एक कार से 675 ग्राम सोने के सात बिस्किट बरामद किए। सोने की कीमत लगभग 35 लाख रुपये है। आरोप है कि सोने को बिना कागजों के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फुटकर में बेचने ले जा रहे थे। पकड़े गए एक युवक के पास दूसरे का लाइसेंसी रिवाल्वर मिला है।

कालागढ़-अफजलगढ़ मार्ग स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के समीप देर शाम करीब साढ़े सात बजे पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर पुलिस को 675 ग्राम के सोने के सात बिस्किट मिले। पुलिस ने अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी अब्दुल्ला बिल्डिंग बरेली रोड, कोतवाली हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखंड और उसका चालक आकर्ष शर्मा पुत्र विशाल शर्मा निवासी नंगला बट्टू रोड, प्रगति नगर, थाना सिविल लाइंस मेरठ को दबोच लिया। अब्दुल रहमान के पास से एक लाइसेंसी रिवाल्वर, पांच कारतूस भी बरामद हुए। उसने बताया कि रिवाल्वर आर्य भारद्वाज पुत्र शिवहरी निवासी 108, इंडस्ट्रियल विलेज, थाना रझूपी जिला दीमापुर नगालैंड का है। वह उसके भाई का दोस्त है। आर्य भारद्वाज फिलहाल नंगला एन्क्लेव, एनआइटी फरीदाबाद हरियाणा में रहता है। कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ये लोग मध्य प्रदेश और मुंबई से बड़े व्यापारियों से बिना कागजों के टैक्स बचाने के लिए थोक के भाव में सोना खरीदते थे। इस सोने को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फुटकर के भाव में बेचते थे। जब्त किया गया सोना जिला कोषागार में जमा करा दिया गया है। जीएसटी कार्यालय को भी रिपोर्ट भेज दी गई है, वहीं से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अफजलगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आरोपित • जागरण

- बिना कागजों के सोना खरीदकर उप्र व उत्तराखंड में फुटकर में बेचते थे

रहमान और आर्य भारद्वाज पर दर्ज हुआ मुकदमा

अब्दुल रहमान के पास आर्य भारद्वाज का लाइसेंसी रिवाल्वर था। इस मामले में रहमान पर आर्म्स एक्ट और आर्य भारद्वाज पर शस्त्र लाइसेंस में लापरवाही बरतने की धारा में केस दर्ज हुआ है। एएसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि रहमान का चालान कर दिया गया है। आर्य भारद्वाज की गिरफ्तारी की जाएगी। चालक आकर्ष शर्मा को पुलिस ने छोड़ दिया है।